



आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो प्रथम तल भोपाल



क्रमांक/एसएचए/एबी/2025/6604

भोपाल, दिनांक -10/10/2025

// आदेश //

जैसा कि आयुष्मान भारत "निरामयम्" मध्यप्रदेश योजना के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु निजी चिकित्सालयों को 03 वर्ष हेतु सम्बद्ध किया जाता है। 03 वर्ष उपरांत संबंधित चिकित्सालयों के नवीनीकरण के आवेदन को परीक्षण करते हुए चिकित्सालयों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर पुनः 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण किया जाता है। उपरोक्तानुसार राज्य स्वास्थ्य एजेंसी को निम्नलिखित चिकित्सालयों के अनुबंध अवधि समाप्ति के उपरांत नवीनीकरण हेतु आवेदन प्राप्त हुए।

और जैसा कि संबंधित चिकित्सालयों के आवेदनों का राज्य स्तरीय इम्पेनलमेन्ट कमेटी की बैठक दिनांक 09 अक्टूबर 2025 में परीक्षण किया गया। जिसमें निम्नलिखित चिकित्सालयों के पास म.प्र. में स्थित महानगरों (भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर) में FULL NABH प्रमाण पत्र होने तथा संबंधित अस्पताल का तीन वर्ष का प्रदर्शन समाधानकारक होने के फलस्वरूप MOU (अनुबंध) अवधि में 03 वर्ष हेतु वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

अतः राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के साथ MOU (अनुबंध) अवधि में 03 वर्ष हेतु वृद्धि किये वाले कुल 17 निजी चिकित्सालयों की सूची निम्नानुसार है :-

S.N.	HOSPITAL ID	HOSPITAL NAME	DISTRICT	SEC Recommendation
1	HOSP23P144172	ANMOL HOSPITAL	BETUL	Recommended for 3 years
2	HOSP23P137798	AYUSHMAN HOSPITAL	RAJGARH	Recommended for 3 years
3	HOSP23P144398	AYUSHMAN MULTICARE HOSPITAL	BHOPAL	Recommended for 3 years
4	HOSP23P142347	DR HARISHANKAR HOSPITAL	VIDISHA	Recommended for 3 years
5	HOSP23P136243	SANJEEVANI HOSPITAL	RAJGARH	Recommended for 3 years
6	HOSP23P144523	SARVODAYA MULTISPECIALTY HOSPITAL	VIDISHA	Recommended for 3 years
7	HOSP23P00825	SHALYA JOINT CARE	BHOPAL	Recommended for 3 years
8	HOSP23P138566	VAIBHAV HOSPITAL	SEHORE	Recommended for 3 years

Am

S.N.	HOSPITAL ID	HOSPITAL NAME	DISTRICT	SEC Recommendation
9	HOSP23P138194	DR GARG HOSPITAL	MORENA	Recommended for 3 years
10	HOSP23P134636	HOPE HOSPITAL	DHAR	Recommended for 3 years
11	HOSP23P146860	JAIN NURSING HOME	EAST NIMAR	Recommended for 3 years
12	HOSP23P145462	MEDIPLUS HOSPITAL	INDORE	Recommended for 3 years
13	HOSP23P144768	MISHRA POLY CLINIC AND NURSING HOME	SINGRAULI	Recommended for 3 years
14	HOSP23P142754	SINGRAULI HOSPITAL AND REASERCH CENTER	SINGRAULI	Recommended for 3 years
15	HOSP23P136342	SHRI CHAITANAYA MAHAPRABHU PRIVATE LTD.	SAGAR	Recommended for 3 years
16	HOSP23P140836	NAVJEEVAN HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE	AGAR MALWA	Recommended for 3 years
17	HOSP23P123640	R K HOSPITAL	MANDSAUR	Recommended for 3 years

उपरोक्त नवीनीकरण किये जा रहे निजी चिकित्सालयों को अनुबंध पत्र (MoU) की प्रति उनके पंजीकृत ई-मेल आई.डी. पर भेजी जा रही है। (नवीन अनुबंध पत्र-2025 (MoU) आयुष्मान भारत "निरामयम" की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)। संबंधित संस्था को आदेश जारी होने पश्चात 07 दिवस के भीतर अनुबंध की सॉफ्टकॉपी आयुष्मान भारत "निरामयम" की अधिकारिक ई-मेल आई.डी. पर भेजना होगा एवं MoU की हार्डकॉपी रु. 500/- के स्टाम्प पेपर पर प्रत्येक पृष्ठ को नोटरीकृत कराकर कार्यालय, आयुष्मान भारत "निरामयम" में दिनांक 17.10.2025 तक जमा करना सुनिश्चित करना होगा, ऐसा न कर पाने की स्थिति में उक्त चिकित्सालय की सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। ई-मेल आई.डी. निम्नानुसार है :-

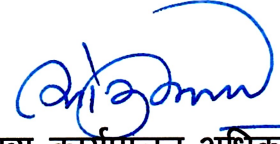
1. ceo.ayushman@mp.gov.in

(राज्य एम्पेनलमेंट कमेटी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र. द्वारा अनुमोदित)


 (डॉ. योगेश भरसट)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 आयुष्मान भारत निरामयम् म.प्र.

प्रतिलिपि:- (सूचनार्थ)

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. ।
2. आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्टर/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति म.प्र. ।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
6. वित्त अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
7. महाप्रबंधक (ऑपरेशंस), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
8. महाप्रबंधक (विधि), आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र. ।
9. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
10. समस्त संभाग प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम्" म.प्र.
11. स्टेट हेड, सेफवे, पेरामाऊंट तथा टी.पी.ए.ए म.प्र. ।
12. समस्त संबंधित निजी चिकित्सालय ।
13. आदेश बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु ।



मुख्य कार्यपालन अधिकारी
आयुष्मान भारत निरामयम् म.प्र.